संख्या-27/2026/201/30-3-2026-1638129

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2026

विषय: उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2025 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राजस्व पक्ष के अंतर्गत व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-71स0सु0/2026-08स0सु0/2021(Vol-4), दिनांक 12-01-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2025 के कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु संख्या-2 वर्ष 2025-26: प्रस्तावित राजस्व योजनाएं के अंतर्गत मद संख्या-42-अन्य व्यय में अनुमोदित धनराशि रू0 3518.13 लाख में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 2882.85 लाख (रू0 अट्ठाईस करोड़ बयासी लाख पचासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	वर्ष 2025-26 हेतु समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि	परिवहन आयुक्त कार्यालय प्रस्तावित धनराशि	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
(1)	सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी और मोर्थ, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से एवं प्रदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय-प्रदेश स्तरीय ट्रेड शो/मेला/पर्व/प्रदर्शनी प्रतियोगिता/पॉड कास्ट इत्यादि पर होने वाला व्यय। (माह फरवरी, 2026 में प्रस्तावित सड़क सुरक्षा अभियान के अन्तर्गत लार्ज स्केल सेंसिटाइजेशन इवेन्ट पर अनुमानित व्यय हेतु रू० 03 करोड़ की टोकन धनराशि सम्मिलित की गयी है।)	1000.00	906.80 (रू० 606.80 लाख रू० 300.00 लाख लार्ज स्केल सेंसिटाइजेशन इवेन्ट पर व्यय हेतु)	851.80 (रू० 551.80 लाख रू० 300.00 लाख लार्ज स्केल सेंसिटाइजेशन इवेन्ट पर व्यय हेतु)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2.1)	माध्यमिक/उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी क्लबों के माध्यम से जागरूक किये जाने एवं सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार-प्रसार:-क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 08.10.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 1500 उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु रू0 5000/- प्रति क्लब की दर से कुल रू0 75.00 लाख।	75.00	75.00	75.00
(2.2)	शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के 3000 रोड सेफ्टी क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु रू0 5000/-प्रति क्लब की दर से कुल रू0 150.00 लाख।	150.00	150.00	150.00
(2.3)	सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर प्रतियोगिताओं के ब्लाक/जिला/मण्डल/ राज्य स्तर पर आयोजन एवं पुरस्कार वितरण हेतु रू0 191.91 लाख।	191.91	191.91	191.91
(3)	सड़क सुरक्षा सप्ताह/पखवाड़ा/माह के अंतर्गत जन-जागरूकता कार्यक्रमों हेतु मण्डल मुख्यालय वाले जनपद एवं गाजियाबाद के लिए रू0 2.00 लाख प्रति जनपद और शेष 56 जनपदों हेतु रू0 1.50 लाख प्रति जनपद की दर से दो कार्यकम हेतु कुल रू0 244.00 लाख)।	244.00	244.00	244.00
(4)	अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति/ जिलाधिकारी कि निर्वतन पर सड़क सुरक्षा संबंधी सुधारात्मक कार्यों हेतु प्रति जनपद रू० 3.00 लाख की दर से कुल व्यय भार रू० 225.00 लाख।	225.00	225.00	225.00
(5)	मोर्थ, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.07. 2025 एवं परिवहन आयुक्त के पत्र दिनांक 26.08.2025 के अनुसार सड़क सुरक्षा मित्र योजना के अन्तर्गत चयनित 28 जनपदों हेतु प्रति जनपद रू0 50,000/- की दर से कुल रू० 14.00 लाख ।	14.00	14.00	14.00
(6)	परिवहन निगम की समस्त बसों में सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार-प्रसार हेतु रू0 100.00 लाख।	100.00	50.00	100.00
(7)	अधिकारियों/कर्मचारियों/ वाहन चालकों के प्रशिक्षण कार्यकम हेतु रू0 25.00 लाख ।	25.00	25.00	25.00
(8)	आटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बरेली एवं कानपुर के संचालन व रख-रखाव हेतु रू० 39.02 लाख ।	39.02	39.02	39.02
	इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंन्टर लखनऊ के संचालन व रख-रखाव हेतु रू0 13.00 लाख।	13.00	12.69	12.69
(9)	परिवहन आयुक्त कार्यालय के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यालय एवं अन्य विविध व्यय हेतु :- • कार्यालय व्यय मद में स्टेशनरी, मीटिंग्स एवं अन्य प्रासंगिक कार्यों इत्यादि में व्यय हेतु	50.00	50.00	50.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुमानित रू0 50.00 लाख।			
	• क्षेत्रीय कार्यालयों को पूर्व में आवंटित कुल 99 वाहनों के ईंधन/रख-रखाव (12 पब्लिसिटी वैन, 72 इण्टरसेप्टर एवं 15 प्रदूषण जाँच संयत्र युक्त बोलेरो वाहन) पर 12 माह हेतु एवं वर्ष 2024-25 में क्रय किये गये 70 नवीन इण्टरसेप्टर वाहनों के ईंधन व रखाव (क्षेत्रीय अधिकारियों को आवंटित) हेतु 04 माह के व्यय हेतु कुल रू0 443.00 लाख।	443.00	400.00	400.00
(10)	HDFC बैंक के CSR सहयोग से विभाग द्वारा दिनांक 02.05.2025 को चैटबॉट सेवा प्रारम्भकी गयी जिसके अन्तर्गत ई-चालान मैसेज एवं अन्य सड़क सुरक्षा जागरूकता मैसेज व्हाट्सएप मेटा के माध्यम से प्रेषित किये जाने की व्यवस्था हेतु अनुमानित व्यय रू0 50.00 लाख है।	50.00	50.00	50.00
(11)	मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में परिवहन विभाग तथा आई०आई०टी० खड़गपुर के मध्य दिनांक 06.09.2025 को हस्ताक्षरित एम०ओ०यू० के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा टेक्निकल एडवाइजर कमेटी (RS-TAC) का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित व्यय।	5.00	00	5.00
(12)	इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई०डी०टी०आर०) रायबरेली (दिनांक 08.04.2024 से संचालित) में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग रूम की स्थापना हेतु अनुमानित व्यय।	7.00	7.00	7.00
(13)	डिटेन्शन यार्ड में निरूद्ध किये गये वाहनो की नीलामी हेतु तकनीक आधारित प्रणाली विकसित किये जाने हेतु अनुमानित व्यय।	100.00	00	00
(14)	सड़क सुरक्षा हेतु प्रवर्तन दलों के लिये प्रवर्तन सिपाहियों के नियमित चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक आगामी 03 माह के लिये प्रस्तावित 424 डी-श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक (सैनिक कल्याण निगम) के पारिश्रमिक के संबध में उत्तर प्रदेश लेबर कर्मिशनर के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 28.03.2025 जो दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक वैध है, के अनुसार प्रतिमाह पारिश्रमिक रू0 33568/-की दर से रू0 426.99 लाख का व्यय अनुमानित है। यदि दिनांक 01.10.2025 से पारिश्रामिक की नयी दरें निर्धारित की जाती है, तदनुसार नई दरों के अधार पर पारिश्रामिक का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	426.99	426.99	426.99

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15.4)	कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14.08. 2019 में सड़क सुरक्षा सेल लीड एजेंसी के लिए RFP डिजाइन/बिड मैनेजमेंट कंसल्टेंट (मिड-लेवल) की सेवाएं लिये जाने हेतु अनुमोदन किया जा चुका है। कंसल्टेट द्वारा डी०टी०आई०/आई एण्ड सी सेंटर /एडीटीटी के संचालन हेतु निजी संस्था के चयन की बिड प्रक्रिया संपादित करायी जायेगी। टेण्डर से संबंधित समस्त कार्यों के निस्तारण हेतु कंसल्टेंट का चयन टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा, जिसका प्रति माह अनुमानित पारिश्रामिक रू0 3,20,000 (समस्त कर सहित की दर से 03 माह के लिये अनुमानित।	9.60	6.40	6.40
(15.5)	सड़क सुरक्षा सेल के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा कंसल्टेंट (आई०टी० एक्सपर्ट) की सेवायें लिये जाने के लिये आई०टी० एक्सपर्ट का चयन टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा। जिसका प्रति माह अनुमानित पारिश्रामिक रू0 2,87,500 (समस्त कर सहित) की दर से 03 माह के लिये अनुमानित ।	8.63	6.40	6.40
(15.7)	सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ में कार्यरत 01 लेखाकार, 02 डी०बी०ए०, 04 लिपिक, 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के संदर्भ में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त कार्मिकों के मानदेय में दिनांक 01 जुलाई, 2025 से 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ प्रस्तावित मानदेय हेतु अनुमानित व्यय रू0 33.97 लाख के सापेक्ष मात्र 1 लेखाकार के मानदेय की धनराशि प्रस्तावित है।	33.97	2.64	2.64
	योग	3211.12	2882.85	2882.85

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्तें</u> -

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(4) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकार कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(9) धनराशि के व्यय में सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्रावधान किया गया है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-256-X-2025-26, दिनांक 30 जनवरी, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/-

(के0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-27/2026/201/30-3-2026-1638129, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(नितिन कुमार गुप्त)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।